न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 15/2018 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00065

उनवान

परसुराम पुत्र गिट्ठनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर
.....अपीलाण्ट

बनाम

मुकेश पुत्र बुद्धा जाति बरहार निवासी खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.01.2018 प्रकरण संख्या 151/17 उनवान परसुराम बनाम मुकेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास।

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक ।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–01.11.2021

यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 12.01.218 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलांट ने कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 3542/1903 से 38.7 फीट वाई 45 फीट बराबर 1741.5 वर्गमीटर अर्थात 2/160 हिस्सा वाके ग्राम खेडली तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी को वादी/अपीलाण्ट ने स्वयं की आय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08.05.2017 को प्रतिवादी/रैस्पो0 से खरीद किया था तथा खरीदने के बाद से वादी/अपीलाण्ट ने उक्त आराजी में कृषि कार्य के औजार रखने के लिये एक कोठरी का निर्माण एवं पानी की बोरिंग करा ली है। प्रतिवादी/रैस्पो0 बहुत ही चालक किस्म का व्यक्ति है एवं वादी/अपीलाण्ट की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2018 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित भूमि अपीलाण्ट द्वारा रैस्पो0 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2017 को क्रय की है व उसी रोज से वहैसियत खातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वयनामा दिनांक से रैस्पो0 विक्रेता के सभी अधिकार विवादित भूमि से समाप्त होकर अपीलाण्ट को प्राप्त हो गये हैं ऐसी स्थिति में दावा वादी/अपीलाण्ट उसके हक में डिक्री होना चाहिये था। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के दावे का अधीनस्थ न्यायालय में कोई विरोध नहीं किया व न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा देकर अपीलाण्ट के दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये दावा डिक्री करने में अपनी सहमति जाहिर की गयी थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1993 पेज 821 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, दावा अपीलाण्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी/रैस्पो0 द्वारा राजीनामा पेश करते हुये वादी/अपीलाण्ट का दावा डिक्री करने में सहमति जताई है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा का अवलोकन किया। उक्त वयनामा के माध्यम से प्रतिवादी/रैस्पो0 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 3542 में से 1741.5 वर्गफीट का विक्रय वादी/अपीलाण्ट को प्लॉट के रूप में किया गया है एवं उक्त वयनामा में स्पष्ट अंकित है कि उक्त विक्रय शुदा प्लॉट वास्ते ट्यूबवैल, कुँआ आदि खुदवाने के काम आयेगी। इस प्रकार विवादित आराजी प्लॉट के रूप में है। जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही वादी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी का नामान्तकरण कराने का अनुतोष देते हुये, दावा वादी/अपीलाण्ट खारिज किया है। जिसे हम किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–15/2018 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. परसुराम पुत्र मिठ्ठनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
..............अपीलांट।

बनाम

1. मुकेश पुत्र बुद्वा जाति बरहार निवासी खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी,रूपवास दिनांक 12.01.2018 प्रकरण संख्या 151/2007 उनवान परसुराम बनाम मुकेश ।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री दुलीचंद शर्मा मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अधिवक्ता अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि..अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........01...........माह.........11........सन्..........2021.........को जारी की गई।

मुहर

01-11-2021

दस्तखत.....भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन.....

औहदा.....राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।